बिहार सरकार

**श्री नीतीश कुमार**
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

**श्री सम्राट चौधरी**
माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार

**श्री विजय कुमार सिन्हा**
माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार

**डॉ० प्रेम कुमार**, माननीय मंत्री
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार

**माननीय मंत्री**

# पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

**का**

# बजट भाषण

## वर्ष 2024–25

बिहार सरकार

## मानननीय मंत्री

## पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

## का

# बजट भाषण

# वर्ष 2024–25

# माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष/सभापति महोदय,

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बजट पर माँग प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

महोदय, हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है तथा इन वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 से (दिनांक–01.04.2007 से) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा प्रदान किया गया।

विभागीय संकल्प संख्या–1697, दिनांक–02.10.2021 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1698, दिनांक–02.10.2021 द्वारा विभाग अंतर्गत निदेशालय के गठन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों के 26 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के 420 पदों सहित कुल 446 पदों के सृजन की स्वीकृति स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में विभाग का वार्षिक योजना बजट जहाँ ₹4217.40 लाख (रूपये बयालीस करोड़ सत्रह लाख चालीस हजार) मात्र से प्रारंभ किया गया है, वहीं वित्तीय वर्ष 2024–25 में इन वर्गों के उत्थान हेतु योजना आकार बढ़कर ₹187853.00 लाख (रूपये एक हजार आठ सौ अठहत्तर करोड़ तिरपन लाख) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत ₹11076.61 लाख (रूपये एक सौ दस करोड़ छिहत्तर लाख इकसठ हजार) मात्र अर्थात् कुल ₹198929.61 लाख (रूपये एक हजार नौ सौ नवासी करोड़ उनतीस लाख इकसठ हजार) मात्र का बजट उपबन्ध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य योजना के अंतर्गत कक्षा–I से X तक अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति से आच्छादित करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विशेषकर व्यवसायिक कोर्सो हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023'' की स्वीकृति दी गयी है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निम्नांकित योजनाएँ संचालन हेतु प्रस्तावित हैं :–

# बिहार सरकार
# पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट

(राशि ₹ लाख में)

| वित्तीय वर्ष 2024–25 | स्वीकृत योजना उद्व्यय |
|---|---|
| राज्य स्कीम | 171604.00 |
| केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) | 13185.00 |
| केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश) | 3064.00 |
| कुल योग :– | 187853.00 |

(राशि ₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | मद का नाम | बजट | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023–24 | वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित) | वर्ष 2024–25 (प्रस्तावित राशि) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | राज्य स्कीम | | | |
| 1 | उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत) | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 2 | प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत) | 19900.00 | 19900.00 | 19900.00 |
| 3 | उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा) | 66949.00 | 66949.00 | 56768.00 |
| 4 | प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा) | | | |
| 5 | अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
| 6 | मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना | | | |
| 7 | मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना | 1350.00 | 1350.00 | 2000.00 |
| 8 | मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना | 660.00 | 660.00 | 936.00 |
| 9 | प्री–मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मोनेटरिंग/प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र योजना/कौशल विकास योजना। | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 10 | मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। | 12500.00 | 12500.00 | 12700.00 |
| 11 | मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। | 10550.00 | 10550.00 | 10700.00 |
| 12 | जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना। | 5.00 | 5.00 | 500.00 |
| 13 | आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण, परिसर विकास, चहारदीवारी, जीर्णोद्धार | 20000.00 | 20060.00 | 30000.00 |
| 14 | आवासीय विद्यालय छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत | 200.00 | 400.00 | 200.00 |
| | योगः– (राज्य स्कीम) | **170014.00** | **170274.00** | **171604.00** |
| | केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) | | | |
| 1 | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत) | 8428.00 | 8428.00 | 11999.99 |
| 2 | प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (50:50) | 3766.00 | 3766.00 | 0.01 |
| 3 | छात्रावास निर्माण (60:40/90:10) | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 4 | डा० अम्बेदकर प्री–मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनधिसूचित घूमन्तू, अर्द्धघूमन्तू जनजाति के विकास के लिए) (75:25) | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| | योगः–( केन्द्रांश ) | **13379.00** | **13379.00** | **13185.00** |
| | केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश) | | | |
| 1 | प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (50:50) | 3885.00 | 3885.00 | 2489.00 |
| 2 | छात्रावास निर्माण (60:40/90:10) | 570.00 | 570.00 | 570.00 |
| 3 | डा० अम्बेदकर प्री–मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनधिसूचित घूमन्तू अर्द्धघूमन्तू जनजाति के विकास के लिए) (75:25) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | योगः– (राज्यांश) | **4460.00** | **4460.00** | **3064.00** |
| | कुल योग :– | **187853.00** | **188113.00** | **187853.00** |

# स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि ₹ लाख में)

| क्र0सं0 | मद का नाम | 2023–24 | वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित) | वर्ष 2024–25 (प्रस्तावित राशि) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्यालय स्थापना | 608.06 | 608.06 | 659.82 |
| 2 | परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 3 | छात्रावासों का संधारण | 1058.41 | 1058.41 | 1095.01 |
| 4 | +2 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का संधारण | 6047.80 | 6065.80 | 5941.56 |
| 5 | निदेशालय स्थापना | 101.47 | 119.47 | 140.79 |
| 6 | क्षेत्रीय स्थापना | 3211.43 | 3211.43 | 3214.43 |
| | योग– | **11052.17** | **11088.17** | **11076.61** |
| | कुल योग (स्कीम + स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) | **198905.17** | **199201.17** | **198929.61** |

नोटः– राज्य स्कीम के अन्तर्गत आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण, परिसर विकास, चहारदीवारी, जीर्णोद्धार मद में प्रस्तावित राशि ₹30000.00 लाख (रू0 तीन सौ करोड़) मात्र तथा आवासीय विद्यालय छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में प्रस्तावित राशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़) मात्र का बजट प्रावधान भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–03 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

यह बजट तत्काल प्राप्त उद्व्यय के आधार पर तैयार किया गया है। आवश्यकतानुसार योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी जायेगी। हमारी सरकार की उपलब्धियों के संबंध में कुछ विशेष तथ्य समर्पित करना चाहता हूँ।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए मुख्यतः पन्द्रह योजनाएँ यथा– (1) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023 (3) मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, (4) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, (5) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति, (6) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, (7) जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, (8) अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना, (9) मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, (10) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना (11) छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना, (12) प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना, (13) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना, (14) मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना, (15) जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केन्द्र संचालित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 7172033 छात्र/छात्राओं के बीच कुल राशि रू0 8,09,77,06,800/– वितरित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक 6394684 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विशेषकर व्यवसायिक कोर्सो हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023'' के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत रू 3.00 लाख तक की पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन की जाती है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018–19 से किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आर्थिक कठिनाईयों के कारण मुख्य परीक्षा के पूर्व परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग/पर्याप्त मार्गदर्शन एवं उपयोगी पुस्तक क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त रू0 50000/–(रूपये पचास हजार) तथा संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एकमुश्त रू0 100000/– (रूपये एक लाख) का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक इस योजनान्तर्गत 6075 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2023–24 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को विस्तारित करते हुए इस योजना के तहत पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/आई0बी0पी0एस0, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा को

सम्मलित करते हुए उक्त परीक्षाओं में उतीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹2000.00 लाख राशि का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन–पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधा दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान की आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/– (रूपये एक हजार) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत लगभग पाँच हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹936.00 लाख राशि का प्रावधान किया गया है।

छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रति माह 15 किलो ग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलो ग्राम चावल एवं 6 किलो ग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में संबंधित छात्रावासों तक खाद्यान्नों की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी योजना–2016 के तहत की जाती है। योजनान्तर्गत लगभग पाँच हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 से अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 से पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएँ प्रारंभ की गयी हैं। मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को एकमुश्त ₹10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र की वृत्तिका दी जाती है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र तक के छात्रों को भी मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना की तरह ही एकमुश्त ₹10,000/–की वृत्तिका दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से इस योजना के तहत राशि का भुगतान शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य स्कीम मद में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के आठ जिलों यथा– (1) पटना, (2) गया, (3) मुजफ्फरपुर, (4) भागलपुर, (5) दरभंगा, (6) छपरा (7) आरा एवं (8) मधेपुरा में स्वीकृत किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के अन्य सात जिलों यथा– (1) पूर्णियाँ, (2) सहरसा, (3) मुंगेर, (4) मधुबनी, (5) वैशाली (हाजीपुर), (6) पूर्वी चम्पारण एवं (7) पश्चिमी चम्पारण में एक–एक नए प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने की स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 23 अन्य जिलों में एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई, इस प्रकार इस योजना से सभी जिलों को आच्छादित कर दिया गया है। वर्तमान में सभी स्वीकृत 38 केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल 4560 छात्र/छात्राएँ प्रशिक्षणरत् हैं। उक्त केंद्रों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य सामग्री के क्रय के लिए प्रति छात्र/छात्रा रु0 3000/– की दर से राशि प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में 11 जिलों में संचालित कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के शेष 27 जिलों में एक–एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का संचालन वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रारम्भ किया गया है। कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय हेतु विभिन्न कोटि के कुल 1365 पदों के सृजन के आलोक में 903 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। सभी 38 जिलों में कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर एवं दरभंगा में आवासीय विद्यालय अपने भवन से संचालित है एवं शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। विद्यालयों में प्रयोगशाला तथा स्मार्ट क्लास हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएँ जो शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं, के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना कार्यान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के 8 जिलों यथा–नवादा में दो, गोपालगंज में दो तथा बक्सर, सहरसा, पूर्णियाँ, अरवल, अररिया एवं नालंदा जिलों में एक–एक 100 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास अर्थात कुल 10 छात्रावास का निर्माण कुल लागत रू0 66.5250 करोड़ (छियासठ करोड़ बावन लाख पचास हजार) मात्र पर एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के 7 जिलों यथा– शिवहर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया एवं लखीसराय में एक–एक अर्थात 100 आसनवाले कुल 7 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 34.9181 करोड़ (चौंतीस करोड़ इक्यानवे लाख इक्यासी हजार) मात्र पर स्वीकृति राज्य योजना के तहत प्रदान की गयी है। भारत सरकार से उपरोक्त योजना की स्वीकृति एवं केन्द्रांश

की राशि विमुक्ति होने के उपरान्त व्ययित राशि के समायोजन की कार्रवाई की जायेगी। उक्त स्वीकृतियों के फलस्वरूप अब सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित होंगे। वर्तमान में 20 जिलों यथा– पटना, रोहतास, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा, मधेपुरा, सुपौल, बाँका, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर एवं कैमूर में एक–एक तथा दरभंगा, भागलपुर एवं कटिहार में दो–दो कुल 23 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का संचालन किया जा रहा है।

सहरसा, नवादा, (बुधौल एवं रजौली) बक्सर, पूर्णियाँ एवं गोपालगंज में छात्रावास का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है। नए सत्र से छात्रावास का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।

इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना कार्यान्वित की जा रही है। अब तक 36 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं छात्रावास का संचालन किया जा रहा है तथा शेष 2 जिलों यथा–खगड़िया एवं सीवान में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर उपर उठाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 से ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना'' संचालित है। इस योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 तक 4162 प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है। इस योजना से पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के साथ–साथ राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बिग डेटा ऐनालिटिक्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग, फुड प्रोसेसिंग, टूरिज्म एवं हॉस्पीटेलिटी, एयर होस्टेस, फ्लाईट अटेंडेंट एवं ग्राउण्ड स्टाफ आदि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी चालू वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

बिहार सरकार

वित्तीय वर्ष 2021–22 से राज्य योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा– कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job Oriented) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा– क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु ''मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना'' एवं योजना पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 45,69,400/– (रू0 पैंतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत Lalit Narayan Mishra Economic Development and Social Change Bihar, Patna में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा कैट, मैट

आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job Oriented) प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु एक ''व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र''के संचालन तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा – NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं मधेपुरा में अवस्थित विश्वविद्यालयों में एक–एक केन्द्र तथा पटना में अवस्थित विश्वविद्यालयों में दो केन्द्र अर्थात कुल सात व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति एवं संचालन पर होने वाले वार्षिक व्यय क्रमशः रू0 24,54,700/– (रू0 चौबीस लाख चौवन हजार सात सौ) मात्र तथा रू0 1,71,82,900/–(रू0 एक करोड़ इकहत्तर लाख बयासी हजार नौ सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत कुल 10 केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, वर्तमान में सभी 10 केन्द्र संचालित है। उक्त केंद्रों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य सामग्री के क्रय के लिए रु0 3000/– प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य में संचालित सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों में जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केन्द्र विकसित किया गया है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी एवं उच्च कोटि के पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराना, डिजिटल अध्ययन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित कराना है एवं साथ ही, विशेषज्ञों तथा पूर्ववर्ती सफल छात्र/छात्राओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन सत्र आयोजित करना है।

पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा निम्नांकित नई पहल किए गए हैं:–

क्षेत्रिय कार्यालयों के लिए अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारियों के कुल 139 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए विभाग को अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है। उक्त के आलोक में नियुक्ति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 129 अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

विभाग अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के लिए कुल 903 शैक्षणिक पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

विभाग अन्तर्गत सभी छात्रावासों को गुणवत्तापूर्ण एवं पेशेवर रूप से संचालित किये जाने हेतु

कुल–91 छात्रावास प्रबंधक के पदों के सृजन की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

पूर्व से 11 जिलों में संचालित कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के अतिरिक्त शेष 27 जिलों में भी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 से एक–एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय का संचालन शुरू कर दिया गया है।

विभागीय योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–146 दिनांक–22.01.2024 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में कुल 07 नए पदों का सृजन एवं प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पूर्व में 28 जिलों में 520 आसन वाले 29 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण हेतु दी गयी स्वीकृति के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के 09 जिलों यथा–कटिहार, अररिया, अरवल, मधुबनी, वैशाली, नवादा, लखीसराय, सीतामढ़ी एवं शिवहर में 520 आसन वाले एक–एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 37 जिलों में 520 आसन वाले 38 आवासीय विद्यालय भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। दरभंगा जिला में 280 आसन वाले आवासीय विद्यालय भवन निर्मित है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों में ऑनलाईन कक्षाओं के संचालन तथा चार जिलों यथा–पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर एवं दरभंगा में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय में भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला तथा स्मार्ट क्लास हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

23 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवश्यक सामग्रियों/उपस्करों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सामग्रियों की मानक सूची एवं इसके क्रय हेतु अनावर्ती व्यय के रूप में एकमुश्त प्रति छात्रावास (100 आसनवाले) रू0 18,59,000 (रू0 अठारह लाख उनसठ हजार) मात्र की दर से कुल रू0 4,27,57,000/– (रू0 चार करोड़ सत्ताईस लाख संतावन हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्र/छात्राओं के लिए 7 जिलों यथा–शिवहर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया एवं लखीसराय में 100 आसन वाले एक–एक अर्थात कुल सात अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार सभी जिलों को उक्त योजना से आच्छादित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तों के तहत वार्षिक आय

अधिसीमा को रू0 1.00 लाख से बढ़ाकर रू0 3.00 लाख किया गया है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत सभी 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में डिजिटल अध्ययन की व्यवस्था एवं सामग्रियों के क्रय हेतु अनावर्ती व्यय के रूप में अनुमानित कुल राशि रू0 95.00 लाख (रू0 पंचानवे लाख) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा–प्रबंधन, विधि आदि की तैयारी एवं संबंधित रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में भागीदारी बढ़ाने हेतु NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की तैयारी निःशुल्क करायी जाती है। योजनान्तर्गत अबतक 10 केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी है। वर्तमान में सभी दस केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 से सभी प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों तथा मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्रों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य सामग्री के क्रय के लिए प्रति छात्र/छात्रा रु0 3000/– की दर से राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य में संचालित सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों में जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी एवं उच्च कोटि के पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराना, डिजिटल अध्ययन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित कराना है एवं साथ ही, विशेषज्ञों तथा पूर्ववर्ती सफल छात्र/छात्राओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन सत्र आयोजित करना है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम के तहत पटना जिलान्तर्गत निर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन में जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह एक राज्य स्तरीय केन्द्र है, जहाँ ऑफलाईन कक्षा के साथ–साथ पूरे राज्य में अवस्थित छात्रावासों/आवासीय विद्यालय/प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में ऑनलाईन कक्षा के प्रसारण की सुविधा भी उपलब्ध है।

राज्य के पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग के सरकारी नौकरियों के साथ–साथ कृषि के तकनीक, सूचना प्रावैधिकी, स्वास्थ्य क्षेत्र, आर्थिक एवं प्रबंधन, कानून, उच्च स्तर के शिक्षण/अध्यापन में प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से ''वटवृक्ष–एक नई पहल'' नाम की एक नई पहल की शुरूआत की गई है। इस

कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के सफल अभ्यर्थियों को छात्रावासों एवं प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों के छात्र/छात्राओं से जोड़ना एवं उत्साहवर्धन किया जायेगा।

आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के 27 जिलों में नव संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर सभी कक्षाओं का संचालन शुरू किये जाने, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसर में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की नि:शुल्क तैयारी कराये जाने हेतु आवासीय कोचिंग केन्द्रों के संचालन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम मद में ₹171604.00 लाख (रूपये एक हजार सात सौ सोलह करोड़ चार लाख) मात्र, केन्द्र प्रायोजित स्कीम मद में केन्द्रांश के तहत ₹13185.00 लाख (रूपये एक सौ इकतिस करोड़ पचासी लाख) मात्र, राज्यांश के तहत ₹3064.00 लाख (रूपये तीस करोड़ चौसठ लाख) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में ₹11076.61 लाख (रूपये एक सौ दस करोड़ छिहत्तर लाख इकसठ हजार) मात्र का बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

हमारी सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिए कटिबद्ध है। हमें विश्वास है कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर सुदृढ़ होगा।

अत: मैं वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माँग संख्या–11 अंतर्गत स्कीम मद में ₹157653.00 लाख (रूपये एक हजार पाँच सौ छिहत्तर करोड़ तिरपन लाख) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में ₹11076.61 लाख (रूपये एक सौ दस करोड़ छिहत्तर लाख इकसठ हजार) मात्र से अनधिक माँग प्रस्तुत करता हूँ।

बिहार सरकार

**मंत्री**
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग**
**कल्याण विभाग, बिहार, पटना।**

बिहार सरकार

## माननीय मंत्री

## पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

## का

# बजट भाषण

# वर्ष 2024-25

श्री नीतीश कुमार
श्री सुशील कुमार मोदी
डॉ० रमेश ऋषिदेव